

कार्यालय मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक : एफ.3.15(सी)एए-851/अनु-3/डी- 1741 दिनांक : 11-11-2019

अधिकाारी अभियन्ता,
सार्वजनिक निर्माण विभाग,
खण्ड- समस्त

विषय:-मैसर्स अशोका कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, भरतपुर के पक्ष में अदेयता प्रमाण पत्र जारी करने के क्रम में।

प्रसंग:-इस कार्यालय का आदेश क्रमांक: एफ.3.15(सी) एए-851/अनु-3 /डी-1234 दिनांक 21.08.2019 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रासंगिक पत्र के द्वारा उक्त संवेदक का पंजीयन निरस्त करने के पश्चात संवेदक के पक्ष में 'कोई बकाया नहीं' का प्रमाण पत्र जारी करने हेतु आपसे अनुरोध किया गया था किन्तु अभी तक भी आपके कार्यालय से अदेयता प्रमाण पत्र इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुए है। संवेदक द्वारा समय समय पर पंजीयन धरोहर राशि लौटाने हेतु अनुरोध किया जा रहा है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि संवेदक के पक्ष में अदेयता प्रमाण पत्र अथवा बकाया की सूचना 25.11.2019 तक इस कार्यालय में पोस्ट अथवा ईमेल के माध्यम से (eehqjpr@gmail.com) भिजवाये अन्यथा संवेदक की आपके खण्ड के अधीन कोई बकाया नहीं है यह मानते हुए धरोहर राशि लौटा दी जावेगी। यदि भविष्य में संवेदक की आपके खण्डीय कार्यालय के अधीन कोई भी राजकीय बकाया वसूली निकलती है तो उसके प्रति आप स्वयं जिम्मेदार होंगे,

भवदीय

३०

(सुरेश चन्द पारीक)
अधिकाारी अभियन्ता(मुख्यालय)
सा.नि.वि. राजस्थान जयपुर।

प्रतिलिपि सिस्टम एनालिस्ट, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर को निर्देशानुसार प्रस्तुत कर लेख है कि पत्र विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करवाने की व्यवस्था करें।

(सुरेश चन्द पारीक)
अधिकाारी अभियन्ता(मुख्यालय)
सा.नि.वि. राजस्थान जयपुर।